उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी (ऊँचापुल)
कुलसचिव कार्यालय

संख्या:आर0/कार्य0प0/IV/205/2011 दिनांक: अगस्त 17, 2011

1. डा0 पी0एम0 शालीमठ, निदेशक, एग्रीकल्चर साइंस विश्वविद्यालय, कृषि नगर, धारवाड़ कर्नाटक-580005
2. प्रोफेसर एम0पी0 यादव, मकान न0 365, सैक्टर 45, गुड़गांव, हरियाणा।
3. श्री सुधीर चड्ढा, चड्ढा सीड फार्म, पोस्ट चकलवा, जिला- नैनीताल।
4. डा0 मुकुल पंत, संयुक्त निदेशक, उच्च शिक्षा, सचिव, उच्च शिक्षा के नामित।
5. प्रोफेसर अजय रावत, निदेशक, समाज विज्ञान विद्या शाखा, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।
6. प्रोफेसर जे0के0 जोशी, शिक्षाशास्त्र विद्या शाखा, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।
7. प्रोफेसर एन0पी0 सिंह, निदेशक, कृषि एवं विज्ञान विद्या शाखा, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।
8. प्रोफेसर एच0पी0 शुक्ल, निदेशक, मानविकी एवं भाषा विज्ञान विद्या शाखा, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।
9. प्रोफेसर दुर्गेश पंत, निदेशक, कम्प्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी विद्या शाखा, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।
10. श्रीमती आभा गर्खाल, वित्त अधिकारी, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।

महोदय,

कुलपति, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में सम्पन्न **कार्य परिषद की चतुर्थ बैठक** दिनांक *09 अगस्त, 2011* का कार्यवृत्त संलग्न कर प्रेषित है। कार्यवृत्त में यदि कोई बिन्दु समावेशित होने से रह गया हो अथवा किसी पारित संकल्प में कोई संशोधन प्रस्तावित हो, कृपया अवगत कराने का कष्ट करें ताकि कार्यवृत्त की पुष्टि के समय प्रस्तावित संशोधन को संज्ञान में लेते हुए यथा आवश्यक परिवर्तन किया जा सके।

संलग्नक:- यथोक्त।

भवदीय,

कुलसचिव
17/8/11

प्रतिलिपि:- कुलपति कार्यालय को कुलपति महोदय के सूचनार्थ।

कुलपति महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की चतुर्थ बैठक दिनांक 09 अगस्त 2011 का कार्यवृत्त-

बैठक में निम्न ने प्रतिभाग किया:-

1. डा0 विनय कुमार पाठक, कुलपति	अध्यक्ष
2. डा0 पी0एम0 शालीमठ, निदेशक शोध, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय धारवाड़, कर्नाटक	सदस्य
3. प्रोफेसर एम0पी0 यादव, पूर्व निदेशक, आई0वी0आर0आई0 पूर्व कुलपति, सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मोदीपुरम, मेरठ	सदस्य
4. श्री सुधीर चड्ढा, उद्योगपति, चड्ढा सीड फार्म चकुलवा, नैनीताल	सदस्य
5. डा0 मुकुल पंत, (प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, के द्वारा नामित) संयुक्त निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी	सदस्य
6. प्रोफेसर अजय रावत, निदेशक, समाज विज्ञान विद्या शाखा उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी	सदस्य
7. प्रोफेसर जे0के0 जोशी, निदेशक, शिक्षाशास्त्र विद्या शाखा, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी	सदस्य
8. प्रोफेसर दुर्गेश पंत, निदेशक, कम्प्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी विद्या शाखा, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी	सदस्य
9. प्रोफेसर नेमपाल सिंह, निदेशक, कृषि विज्ञान विद्या शाखा, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी	सदस्य
10. प्रोफेसर एच0पी0 शुक्ल, निदेशक, भाषा विज्ञान विद्या शाखा, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी	सदस्य
11. श्रीमती आभा गर्खाल, वित्त नियंत्रक, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी	सदस्य
12. प्रोफेसर आर0सी0 मिश्र, निदेशक, वाणिज्य एवं प्रबंध अध्ययन/ कुलसचिव, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी	सचिव

बैठक के आरम्भ में कुलसचिव द्वारा सभी उपस्थित महानुभावों का स्वागत करते हुए सदस्यगणों के सहयोग के प्रति आभार व्यक्त किया गया। तदुपरान्त बैठक की कार्यसूची पर विचार आरम्भ हुआ।

प्रस्ताव संख्या 4.01- कार्य परिषद की तृतीय बैठक दिनांक 21.05.2011 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

कार्य परिषद की तृतीय बैठक 21.05.2011 का कार्यवृत्त में मद संख्या-3.39 में प्राचार्य के स्थान पर आचार्य किये जाने के साथ परिचालित कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

प्रस्ताव संख्या 4.02- कार्य परिषद की तृतीय बैठक दिनांक 21.05.2011 के निर्णयों पर कृत कार्यवाही।

परिषद द्वारा तृतीय बैठक के निर्णयों पर कृत कार्यवाही पर संतोष व्यक्त किया गया तथा निर्देश दिया कि जिन संकल्पों पर अभी कार्यवाही न हुई हो उनका अनुश्रवण कर उन पर कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या 4.03- नियुक्ति पत्र कुलसचिव द्वारा निर्गत किये जाने पर विचार।

प्रस्ताव पर विचारोपरान्त पारित किया गया कि परिषद द्वारा शैक्षणिक पदों पर चयन समिति की संस्तुतियों के अनुमोदन के उपरान्त प्रशासनिक स्वीकृति कुलपति द्वारा प्रदान की जायेगी। तदोपरान्त नियुक्ति विषयक पत्राचार एवं नियुक्ति पत्र निर्गत करने हेतु परिनियम 9 (8) (चार) की व्यवस्थानुसार कुलसचिव को अधिकृत किया जाता है।

प्रस्ताव संख्या 4.04- प्राध्यापक वर्ग से नियुक्ति के समय भरवाये जाने वाले करार पत्र में वित्त अधिकारी के स्थान पर कुलसचिव द्वारा हस्ताक्षर किये जाने के सम्बन्ध में।

परिषद द्वारा परिनियमावली के परिनियम 27(6) के परिशिष्ट क पर दिये गये करार पत्र को प्रत्येक नियुक्त किये जाने वाले शिक्षक से भरवाये जाने तथा उस पर वित्त अधिकारी के स्थान पर विश्वविद्यालय प्रतिनिधि के रूप में कुलसचिव द्वारा हस्ताक्षर किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई ताकि परिनियम 6 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही हो।

यह भी पारित किया गया कि करार पत्र रू0 100/- (रूपया एक सौ मात्र) के नॉन-जुडिशियल स्टाम्प पर, जो नोटरी द्वारा प्रमाणित किया गया हो, पर करार पत्र बनवाया जाय।

प्रस्ताव संख्या 4.05- परीक्षा नियंत्रक की चयन समिति में कार्य परिषद का सदस्य नामित किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विचारोपरान्त कार्यसूची में प्रस्तावित तीन सदस्यों की नामावली को अनुमोदन प्रदान किया तथा यह निर्देश दिया कि नामावली में उल्लिखित निम्न व्यक्तियों को उनके क्रम एवं उपलब्धता के आधार पर बुलाया जाय:-

1. प्रोफेसर एच0सी0 नैनवाल, प्रतिकुलपति, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून।
2. निदेशक, दूरस्थ शिक्षा परिषद, इग्नू, नई दिल्ली।
3. परीक्षा नियंत्रक, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।

यह भी पारित किया गया कि चूंकि परीक्षा नियंत्रक के पद की चयन समिति में कार्य परिषद द्वारा नामित सदस्य सम्मिलित है, परीक्षा नियंत्रक पद हेतु चयन समिति की संस्तुति राज्य सरकार की सहमति हेतु कुलपति द्वारा भेज दी जाय तथा कृत कार्यवाही से आगामी बैठक में परिषद को अवगत करा दिया जाय।

प्रस्ताव संख्या 4.06- प्राध्यापकों की चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा सम्पादित कराये जाने को प्रश्नांकित किये जाने विषयक याचिका पर माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा पारित निर्णय का अवलोकन।

परिषद द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का अवलोकन किया गया।

यह निर्णय लिया गया कि भविष्य में अभ्यर्थियों के चयन हेतु लिखित परीक्षा को प्रि-स्क्रीनिंग परीक्षा के रूप में प्रयोग किया जाय तथा इस परीक्षा के प्राप्तांकों का भार कुल स्केल में 20 प्रतिशत यथावत रखा जाय। इस स्क्रीनिंग परीक्षा के आधार पर एक पद के लिए प्रथम 16 अभ्यर्थियों की सूची बनाये जाने की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ दी जाती है कि ऐसा किये जाने से परिनियम की व्यवस्थाओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इस प्रकार एक पद हेतु 16 अभ्यर्थियों का चयन किया जाय। तत्पश्चात अभ्यर्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों, शोध कार्य इत्यादि हेतु परिनियमावली में दी गई व्यवस्था के अनुसार स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा स्क्रीनिंग कराकर श्रेष्ठता क्रम में प्रथम 08 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाय जैसा कि परिनियमों में व्यवस्था है।

प्रस्ताव संख्या 4.07- सहायक प्राध्यापक (प्रवक्ता) एवं प्राध्यापक (आचार्य) हेतु सम्पन्न साक्षात्कार के आधार पर चयन समितियों की संस्तुतियों का अनुमोदन।

परिषद द्वारा निम्न पदों हेतु दिनांक 02 अगस्त, 2011 से 08 अगस्त, 2011 तक साक्षात्कार हेतु गठित चयन समितियों की संस्तुतियों का अवलोकन किया गया:-

क्रम संख्या	पदनाम	विषय	श्रेष्ठता क्रम में संस्तुत नाम	वेतनबैंड/ग्रेड-पे	संस्तुत प्रारम्भिक वेतन
1.	आचार्य (प्राध्यापक)	प्रबंध अध्ययन	आर0सी0 मिश्र	37400-67000/- एवं 10000/-	नियमानुसार वेतन संरक्षण एवं दो अतिरिक्त वेतन वृद्धि
2.	-तदैव-	वाणिज्य	कोई उपयुक्त नहीं पाया गया।	-तदैव-	लागू नहीं
3.	-तदैव-	अंग्रेजी	एच0पी0 शुक्ल	-तदैव-	नियमानुसार वेतन संरक्षण एवं दो अतिरिक्त वेतन वृद्धि
4.	-तदैव-	कम्प्यूटर सांइस	दुर्गेश पंत	-तदैव-	नियमानुसार वेतन संरक्षण एवं दो अतिरिक्त वेतन वृद्धि

5.	-तदैव-	शिक्षाशास्त्र	रोमेश वर्मा	-तदैव-	अन्तिम वेतन माइनेस पैंशन के आधार पर एक वर्ष अथवा नियमित नियुक्ति तक के लिए
6.	-तदैव-	इतिहास	गिरजा प्रसाद पाण्डे	-तदैव-	वेतनबैन्ड में आहरित मूल वेतन तथा अनुमन्य अन्य भत्ते
7.	-तदैव-	पत्रकारिता एवं जनसंचार	1. गोविन्द 2. गोविन्द पंत राजू	-तदैव-	वेतन बैन्ड के प्रारम्भिक स्तर में दो अतिरिक्त वेतन वृद्धियां
8.	सहायक प्राध्यापक (प्रवक्ता)	प्रबंध अध्ययन	1. मंजरी अग्रवाल 2. दिव्या नेगी 3. प्रदीप ममगांई	15600-39100/- एवं 6000/-	वेतन बैन्ड का प्रारम्भिक स्तर
9.	-तदैव-	वाणिज्य	1. गगन सिंह 2. मृत्युंजय पाण्डे 3. दिव्या नेगी	-तदैव-	वेतन बैन्ड का प्रारम्भिक स्तर
10.	-तदैव-	अंगेजी	1. योगेश कुमार दुबे 2. सुचित्रा अवस्थी 3. राजकुमार मिश्रा	-तदैव-	वेतन बैन्ड का प्रारम्भिक स्तर
11.	-तदैव-	समाजशास्त्र	1. दीपक पालीवाल 2. धीरेन्द्र प्रताप सिंह 3. बबीत कुमार बिहान	-तदैव-	वेतन बैन्ड का प्रारम्भिक स्तर
12.	-तदैव-	राजनीतिशास्त्र	1. सूर्यभान सिंह 2. राजीव कुमार सिंह 3. प्रकाश लखेरा	-तदैव-	वेतन बैन्ड का प्रारम्भिक स्तर
13.	-तदैव-	कम्प्यूटर सांइस	कोई उपयुक्त नहीं पाया गया।	-तदैव-	-
14.	-तदैव-	शिक्षाशास्त्र	**अनारक्षित** 1. रजनी रंजन सिंह 2. प्रवीन कुमार तिवारी 3. नरेन्द्र कुमार **आरक्षित** 1. दिनेश कुमार	-तदैव-	वेतन बैन्ड का प्रारम्भिक स्तर

15.	-तदैव-	इतिहास	1. मदन मोहन जोशी 2. नन्दन कुमार 3. आनन्द कुमार शर्मा	-तदैव-	वेतन बैन्ड का प्रारम्भिक स्तर
16.	-तदैव-	कृषि	1. वीरेन्द्र कुमार 2. शशिकमल 3. सतीश चन्द्र पंत	-तदैव-	वेतन बैन्ड का प्रारम्भिक स्तर
17.	-तदैव-	होटल मैनेजमेन्ट	1. जटाशंकर आर0पी0 तिवारी 2. उदय प्रताप सिंह चमियाल	-तदैव-	वेतन बैन्ड का प्रारम्भिक स्तर
18.	-तदैव-	पर्यटन	1. अमित गंगोटिया 2. हेमन्त कुमार	-तदैव-	वेतन बैन्ड का प्रारम्भिक स्तर
19.	-तदैव-	आयुर्वेद	1. हेमन्त काण्डपाल 2. सुशांत कुमार साहू	-तदैव-	वेतन बैन्ड का प्रारम्भिक स्तर
20.	-तदैव-	पत्रकारिता एवं जनसंचार	1. सुबोध कुमार 2. कौशल त्रिपाठी	-तदैव-	वेतन बैन्ड का प्रारम्भिक स्तर
21.	-तदैव-	अर्थशास्त्र	कोई उपयुक्त नहीं पाया गया।	-तदैव-	-
22.	-तदैव-	संस्कृत	1. देवेश कुमार मिश्र 2. अर्चना त्रिपाठी	-तदैव-	वेतन बैन्ड का प्रारम्भिक स्तर
23.	-तदैव-	हिन्दी	1. शशांक शुक्ल 2. राजेन्द्र सिंह 3. उन्मेश कुमार सिन्हा	-तदैव-	वेतन बैन्ड का प्रारम्भिक स्तर
24.	-तदैव-	वानिकी	1. हरीश चन्द्र जोशी 2. मुकेश जोशी 3. चन्द्रपाल सिंह बोरा	-तदैव-	वेतन बैन्ड का प्रारम्भिक स्तर

परिषद द्वारा चयन समिति की संस्तुतियों पर विचारोपरान्त पारित किया कि "चयन समितियों की संस्तुतियाँ अनुमोदित की जाती हैं। चयन समिति की संस्तुति के आधार पर प्रत्येक विषय में श्रेष्ठता क्रम में प्रथम अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाय। यदि प्रथम अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण नहीं करता तो दूसरे क्रमांक पर स्थित अभ्यर्थी तथा दूसरे क्रमांक पर स्थित अभ्यर्थी के योगदान न करने पर तृतीय स्थान पर अवस्थित अभ्यर्थी को नियुक्त कर लिया जाय। अनुमोदन की तिथि से प्रत्येक विषय का पैनल एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा।"

यह भी पारित किया गया कि जिन अभ्यर्थियों के मामले में वेतन संरक्षण अथवा अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ संस्तुत किया गया है उन्हें यह लाभ अनुमन्य होगा बशर्ते कि

ऐसा किये जाने से किसी वित्तीय नियम अथवा वेतन संरक्षण के शासनादेश संख्या-3741/पन्द्रह (15)-41(1)/80 दिनांक 20 जून, 1989 के प्राविधानों का उल्लंघन न होता हो।

यह भी पारित किया कि प्रोफेसर आर0सी0 मिश्र, प्रोफेसर दुर्गेश पंत, प्रोफेसर एच0पी0 शुक्ल एवं डा0 गिरिजा प्रसाद पाण्डे पूर्व संस्थान अथवा विभाग में पेंशन लाभों से आच्छादित हैं, उन्हें विश्वविद्यालय सेवा में योगदान करने पर शासनादेश संख्या- 832/xxvii(7)/2011 दिनांक 04 मार्च, 2011 के अन्तर्गत देय लाभ अनुमन्य होंगे।

परिषद के सदस्यों द्वारा लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार को पारदर्शिता के साथ पूर्ण करने तथा विश्वविद्यालय स्थापना के उपरान्त पदों की स्वीकृति के लगभग पॉच वर्ष के अन्तराल के बाद भरे जाने हेतु कुलपति के प्रयासों की सराहना की गई तथा उनके प्रति इस उपलब्धि के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया।

प्रस्ताव संख्या 4.07 को कुलपति जी के द्वारा कार्य परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा इस प्रस्ताव पर विचार करते समय तथा निर्णय लिये जाते समय निम्न सदस्य बैठक से अनुपस्थित रहे:-

1. प्रोफेसर आर0सी0 मिश्र
2. प्रोफेसर एन0पी0 सिंह
3. प्रोफेसर दुर्गेश पंत
4. प्रोफेसर एच0पी0 शुक्ल

प्रस्ताव संख्या अ-4.1- उपक्षेत्रीय केन्द्र स्थापित किये जाने की स्वीकृति पर विचार।

प्रस्ताव पर विचारोपरान्त पारित किया गया कि वित्तीय उपाशय निहित होने के कारण प्रकरण वित्त समिति को प्रस्तुत किया जाय। जहॉ उपक्षेत्रीय केन्द्र स्थापित किया जाना अत्यन्त आवश्यक हो वहॉ गुण-दोष के आधार पर कुलपति को एक समिति का गठन कर उसकी संस्तुतियों के आधार पर निर्णय लेने के लिए वित्त समिति की स्वीकृति की प्रत्याशा में अधिकृत किया जाता है। उपक्षेत्रीय क्रेन्द्र स्थापित करने में छात्र हित के साथ-साथ वित्तीय व्यय भार का भी आकंलन कर लिया जाय।

प्रस्ताव संख्या अ-4.2- पर्यटन तथा होटल मैनेजमेन्ट विभाग एवं आवश्यकतानुसार अन्य विषयों को देहरादून परिसर में संचालित करने के सम्बन्ध में।

परिषद द्वारा प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया। प्रस्ताव में उल्लिखित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पारित किया गया कि पर्यटन एवं होटल मैनेजमेन्ट पाठ्यक्रम को सुदृढ करने हेतु इन पाठ्यक्रमों को देहरादून परिसर में स्थानान्तरित कर दिया जाय परन्तु विश्वविद्यालय मुख्यालय में भी इन पाठ्यक्रमों को संचालित करने हेतु संविदा शिक्षक अथवा अकादमिक परामर्शदाता को बनाये रखा जाय।

परिषद को अवगत कराया गया कि प्रो0 ओ0पी0 कण्डारी, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, पर्यटन प्रतिनियुक्ति पर उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय को सेवायें देने को सहमत है। उनके योगदान से पर्यटन एवं होटल मैनेजमेन्ट पाठ्यक्रम सुदृढ होंगे। प्रो0 ओ0पी0 कण्डारी को

प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किये जाने की परिषद द्वारा सराहना की गयी तथा अपनी सहमति व्यक्त की गयी।

यह भी पारित किया गया कि छात्र हित में यदि किसी अन्य पाठ्यक्रम को भी देहरादून परिसर में संचालित किया जाना वांछित हो तो कुलपति के द्वारा आवश्यकतानुसार कार्यवाही कर ली जाय।

प्रस्ताव संख्या अ-4.3- विश्वविद्यालय द्वारा प्रथम चरण में प्रस्तावित निर्माण कार्यो पर कार्य परिषद का अनुमोदन।

प्रस्ताव पर विचारोपरान्त परिषद द्वारा प्रथम चरण में प्रस्तावित भवनों के निर्माण पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या अ-4.4- शासन को परिवर्तन हेतु भेजे गये पदों पर स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त उनके लिए कुलपति द्वारा नामित किये जाने वाले वाह्य विशेषज्ञों की सूची का अनुमोदन।

परिषद के समक्ष प्राध्यापक (आचार्य) के मैकेनिकल इंजीनियरिंग, विधि, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र एवं राजनीतिशास्त्र तथा सहायक प्राध्यापक के योग, शिक्षाशास्त्र, ज्योतिष, एम0एस0 डब्ल्यू एवं जिन विषयों में कोई अभ्यर्थी उपयुक्त न पाये जाने के कारण पद पुनर्विज्ञापित किये जाने है, हेतु प्रस्तुत वाह्य विशेषज्ञों की नामावली को अनुमोदन प्रदान किया गया जिस पर महामहिम कुलाधिपति की सहमति प्राप्त कर ली जाय।

प्रस्ताव संख्या अ-4.5- प्राध्यापक (आचार्य) कृषि के पद के विशिष्टिकरण निर्धारण के सम्बन्ध में।

परिषद को अवगत कराया गया कि शासन द्वारा कृषि के प्राध्यापक (आचार्य) का पद स्वीकृत है। कृषि विज्ञान के अन्तर्गत अनेकों प्रधान विषय (Major Subjects) हैं। मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों के स्वरूप को ध्यान मे रखते हुए सस्य विज्ञान (Agronomy), उद्यान विज्ञान (Horticulture), सब्जी विज्ञान (Vegetable Science), फ्लोरिकल्चर एण्ड लैंड स्केपिंग (Floriculture & Landscaping) एवं आनुवांशिकी एवं पादक प्रजनन (Genetics & Plant Breeding) में विशिष्टिकरण वाले अभ्यर्थियों को वांछित अर्हता के रूप में सम्मिलित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

परिषद की बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ समाप्त हुई।

कुलसचिव/सचिव
कार्य परिषद